फा सं. 2/8/2022-सा.-II
संघ लोक सेवा आयोग
धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड
नई दिल्ली-110069

निविदा आमंत्रण सूचना

दो-बोली प्रणाली के तहत कॉरुगेटिड बक्से की स्ट्रिपिंग (नायलॉन-स्ट्रिपिंग/वाटर प्रूफिंग और लोडिंग) और रेलवे पार्सल की क्लीयरेंस (पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और/या निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से) के लिए, इस क्षेत्र में शामिल वेंडर, जिनका पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के दौरान कम से कम 15 लाख रुपये का औसत वार्षिक कारोबार हैं, से ऑन-लाइन बोलियां आमंत्रित की जाती हैं। कार्यक्षेत्र से संबंधित विस्तृत विवरण इस दस्तावेज के अनुबंध-I में उल्लिखित है। मैनुअल बोलियां स्वीकार नहीं की जाएगी।

निविदा दस्तावेज़ सं. लो. से. आ. की वेबसाइट www.upsc.gov.in (केवल संदर्भ हेतु)और सी पी पी पी साइट**https://eprocure.gov.in/ eprocure/app**से डाउनलोड किए जा सकते हैं जिनकी समय सीमा **क्रिटिकल डेट-शीट** में दी गई है जो निम्नानुसार है :-

क्रिटिकल डेट-शीट

सी पी पी पोर्टल पर प्रकाशित किए जाने की तारीख	17.03.2023
बोली दस्तावेजों को डाउनलोड करने की आरंभिक तारीख	17.03.2023
दस्तावेज डाउनलोड करने की अंतिम तारीख	07.04.2023
बोली प्रस्तुतीकरण की प्रारंभिक तारीख	17.03.2023
स्पष्टीकरण की प्रारंभिक तारीख	17.03.2023
स्पष्टीकरण की अंतिम तारीख	27.03.2023
ऑनलाइन टेंडर अपलोड करने की अंतिम तारीख और समय।	07.04.2023 (1700 hrs)
तकनीकी बोलियों के खुलने के लिए तारीख और समय।	08.04.2023 (1700 hrs)
धरोहर जमा राशि(ईएमडी)	1,18,000/- रुपये

बोलियां केवल सी पी पी पी वेबसाईट https://eprocure.gov.in/eprocure/app.परऑन-लाइन प्रस्तुत की जाएंगी।

बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर ई-प्रापण के लिए सी पी पी पोर्टल के माध्यम से बोलियों के ऑनलाइन ई-प्रस्तुतीकरण हेतु केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल पर दिए गए अनुदेशों का अनुपालन करें।

बोली दस्तावेजों को श्याम एवं श्वेत विकल्प सहित 100 dpi के साथ स्कैन किया जा सकता है जो स्कैन किए गए दस्तावेजों के आकार को कम करने में मदद करता है।

सामान्य निबंधन एवं शर्ते

1. बोली प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया
बोली केवल **केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल(ई-प्रापण)** से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

निविदा दो भागों, अर्थात तकनीकी बोली और मूल्य बोली में ऑन-लाइन प्रस्तुत की जानी चाहिए।

प्रस्तुत की जाने वाली बोली के सभी पृष्ठ बोलीदाता द्वारा **हस्ताक्षरित तथा क्रमिक रूप से क्रमांकित** होने चाहिए।

फैक्स/ई-मेल अथवा किसी अन्य तरीके से प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

क्रिटिकल डेटशीट में उल्लिखित ऑन-लाइन बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख/समय को या उससे पहले सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के रूप में 1,18,000/- रुपये (एक लाख अठारह हजार रुपये मात्र) की धरोहर जमा राशि के मूल विलेख की हार्ड प्रति अवर सचिव-(सा.II), कमरा सं.208(क)-एएसबी,संघ लोक सेवा आयोग में भेज दी जानी चाहिए।

(i) <u>तकनीकी बोली</u>

तकनीकी बोली के साथ बोलीदाता को अनुबंध V में दिए गए निम्नलिखित दस्तावेज प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से विधिवत हस्ताक्षर करवाकर प्रस्तुत करने होंगे।

क) पैन कार्ड की हस्ताक्षरित तथा स्कैन की हुई प्रति।

ख) जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र की हस्ताक्षरित तथा स्कैन की हुई प्रति।

ग) पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 की फर्म की आयकर विवरणी की हस्ताक्षरित तथा स्कैन की हुई प्रतियां।

घ) पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 की फर्म के लेखा-परीक्षित तुलन पत्रों की हस्ताक्षरित तथा स्कैन की हुई प्रतियां।

ङ) (चार्टड) लेखाकार द्वारा प्रमाणित वार्षिक टर्नओवर प्रमाणपत्र की हस्ताक्षरित तथा स्कैन की हुई प्रति।

च) पूर्ववर्ती पाँच वर्षों के दौरान को कम से कम दो कार्य आदेशों की हस्ताक्षरित स्कैन की हुई प्रतियां।

छ) 1,18,000 रू. की धरोहर जमा राशि (ईएमडी) की हस्ताक्षरित तथा स्कैन की हुई प्रति।

ज) अनुबंध-III तथा अनुबंध-IV के अनुसार अपेक्षित प्रमाणपत्रों की हस्ताक्षरित तथा स्कैन की हुई प्रतियां।

(ii)मूल्य बोली

मूल्य बोली की अनुसूची केवल निर्धारित प्रारूप (बीओक्यू प्रारूप) में प्रस्तुत की जानी चाहिए। बोलीदाता मूल्य बोली (अनुबंध-II) के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही सीपीपी पोर्टल पर दर बीओक्यू प्रारूप में प्रस्तुत करेंगे। तकनीकी बोली में किसी भी तरह उद्धृत दरों को उद्घाटित करने पर बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा। दरें, करों के बिना उद्धृत की जानी चाहिए। करों को दरों के साथ पृथक रूप से उद्धृत किया जाना चाहिए।

2. धरोहर जमा राशि: निविदा के साथ 1,18,000 रुपये की धरोहर जमा राशि (ईएमडी) अनिवार्य रूप से जमा की जानी चाहिए। ईएमडी, सचिव, सं.लो.से.आ. दिल्ली/नई दिल्ली के नामे देय किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के रूप में जमा करनी होगी, ऐसा न होने पर बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा।ऐसी फर्म जो सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के रूप में पंजीकृत

हैं, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम विभाग द्वारा जारी खरीद नीति में परिभाषित किया गया है या केन्द्रीय खरीद संगठन या संबंधित मंत्रालय या विभाग के साथ पंजीकृत हैं, उन्हें दस्तावेजी प्रमाण जमा करने पर धरोहर जमा राशि (ईएमडी) जमा करने से छूट दी गई है। अन्य बोलीदाताओं के लिए, जैसा की ऊपर उल्लिखित किया गया है, निर्धारित प्रपत्र में धरोहर जमा राशि (ईएमडी) जमा करना अनिवार्य है। **यदि ईएमडी की हार्ड प्रति निर्धारित तारीख तक प्राप्त नहीं होती है, तो बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा।**

(i) धरोहर जमा राशि, बोली की वैधता अवधि के बाद 45 (पैंतालीस) दिन की न्यूनतम अवधि तक वैध होनी चाहिए।

(ii) धरोहर जमा राशि को स्कैन किया जाना चाहिए और निविदा प्रस्तुत करने की अवधि के भीतर ही ई-टेंडरिंग वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए और मूल रूप में बोली प्रस्तुतीकरण की अंतिम तारीख और समय तक सं.लो.से.आ. (अवर सचिव (सा.II), कमरा सं.208 (क)-एएसबी) को भेजी जानी चाहिए) में जमा किया जाना चाहिए।

(iii) असफल बोलीदाताओं की धरोहर जमा राशि निविदा को अंतिम रूप दिए जाने के बाद उन्हे लौटा दी जाएगी। धरोहर जमा राशि पर किसी भी परिस्थिति में सं.लो.से.आ. द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

(iv) <u>धरोहर जमा राशि की जब्ती:-</u> किसी भी बोली को निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप दिए जाने से पहले वापस नहीं लिया जा सकता है। यदि बोलीदाताओं में से कोई भी व्यक्ति निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप दिए जाने से पहले अपनी बोली वापस लेता है, तो उसकी ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।

3. कार्य निष्पादन सुरक्षा:

सफल बोलीदाता को कुल संविदा मूल्य के 3% की दर से कार्य-निष्पादन सुरक्षा राशि प्रस्तुत करनी होगी। कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि, सचिव, सं.लो.से.आ., दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर/ बैंक गारंटी के रूप में होनी चाहिए तथा आशय-पत्र जारी होने की तारीख से 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। कार्य-निष्पादन सुरक्षा राशि सभी संविदात्मक जिम्मेदारियों के पूरा होने की तारीख से 90 दिन की अवधि तक वैध रहेगी। यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होना चाहिए कि कार्यक्षेत्र के अनुसार कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में कार्य-निष्पादन सुरक्षा राशि जब्त की जा सकती है। यह निर्धारण क्षति/शास्ति यदि कोई हो, जो इसके निबंधन एवं शर्तों में विनिर्दिष्ट किए अनुसार लगाई जा सकती है, के अतिरिक्त होगी। सं.लो.से.आ. द्वारा किसी भी परिस्थिति में निष्पादन सुरक्षा राशि पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।

पात्रता मानदंड:

4. बोलीदाता को सरकारी संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों/प्रतिष्ठित निजी कंपनियों में कम से कम 5 (पाँच) वर्षों के लिए कॉरुगेटिड बक्सों की स्ट्रिपिंग (नायलॉन-स्ट्रिपिंग/वाटर प्रूफ और लोडिंग या समान पैकिंग कार्य) का अनुभव होना चाहिए। इस संबंध में, पूर्ववर्ती 5 वर्षों के दौरान को कम से कम 2 (दो) कार्य आदेशों की प्रतियां तकनीकी बोली के साथ संलग्न होनी चाहिए।

5. बोलीदाता का पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान औसतन वार्षिक टर्नओवर कम से कम 15 लाख रुपये होना चाहिए। इस संबंध में, बोलीदाता को सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित वार्षिक टर्नओवर प्रमाण-पत्र और वित्तीय वर्ष 2021-2022 सहित पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक वर्ष की फर्म के लेखा परीक्षित तुलन पत्रों की प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी।

<u>अन्य निबंधन एवं शर्तें</u>

6. संविदा निम्नलिखित शर्तों के अधीन संविदा प्रदान करने की तारीख से **3 (तीन) वर्षों के लिए वैध** होगी:-

(i) सं.लो.से.आ. अपने विवेकाधिकार से एक महीने का नोटिस देकर संविदा को रद्द कर सकता है।

(ii) सं.लो.से.आ. अपने विवेकाधिकार से संविदा को उन्ही निबंधन, शर्तों और तीसरे वर्ष की दर पर 01 (एक) वर्ष के लिए आगे बढा सकता है।

7. बोलीदाताओं को मूल्य बोली में तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए प्रत्येक मद के लिए वार्षिक इकाई दरें (अनुबंध-II पर विवरण) इंगित करनी होगी। दरों में सं.लो.से.आ. तक सामग्री के परिवहन/लोडिंग से संबंधित सभी शुल्क शामिल होंगे। निर्धारित प्रपत्र में नहीं प्राप्त बोलियां अस्वीकृत की जा सकती हैं।

8. करों को दरों के साथ अलग से उद्धृत करना होगा। जिन बोलीदाताओं ने कर की दरों को अलग से उद्धृत नहीं किया है, उनकी बोली को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

9. **बोलियों का मूल्यांकन**

(i) **तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन:** तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत तकनीकी बोली दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।

(ii) **वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन:**

(क) वित्तीय बोलियां केवल उन बोलीदाताओं की खोली जाएगी जिनकी तकनीकी बोलियों को सं.लो.से.आ. के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी बोली की विस्तृत जांच के बाद अनुमोदित कर दिया गया हो।

(ख) वित्तीय मूल्यांकन पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए सभी मदों की उद्धृत दरों को ध्यान में रख के किया जाएगा। एल-1 बोलीदाता का निर्णय अनुबंध-II में दिए गए विवरण के अनुसार एन पी वी (कुल वर्तमान मूल्य) के आधार पर किया जाएगा। तथापि, भुगतान वेंडर द्वारा उद्धृत वर्ष-वार इकाई दरों तथा यथा लागू करों के आधार पर किया जाएगा।

10. बोलियां, तकनीकी बोलियों के खुलने की तारीख से 180 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी।

11. काल्पनिक, सशर्त अथवा अपूर्ण बोलियां सरसरी तौर पर रद्द की जा सकती हैं।

12. सं.लो.से.आ. को किसी भी या सभी बोलियों को बिना कोई कारण बताए, अस्वीकृत करने का अधिकार है। सचिव, सं.लो.से.आ. का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

13. आयकर : यथा लागू बिलों से स्रोत पर वसूली योग्य। बोलीदाता को अपना स्थायी आयकर खाता सं.(पैन) प्रस्तुत करना होगा। उनको अनुबंध-III के अनुसार एक प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि उन्हे पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान आय/संपत्ति छिपाने के लिए दोषी या दंडित नहीं किया गया है।

14. बोलीदाता को फर्म के जी एस टी पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) के साथ जी एस टी पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

15. **भुगतान शर्तें:** सं.लो.से.आ. की उपयोगकर्ता शाखा द्वारा विधिवत प्रमाणित, कार्य के सफल समापन के बाद 100 प्रतिशत (लागू करों सहित) जारी किया जाएगा।

16. **जोखिम क्रय खंड:** यदि फर्म, बोली जमा होने और इसके विधिवत स्वीकार होने अर्थात आदेश देने के बाद निविदा दस्तावेजों के निबंधन और शर्तों के अनुपालन में विफल रहती है और /या नियत कार्यक्रम के अनुसार कार्य निष्पादित करने में असफल रहती है या किसी भी समय संविदा का परित्याग करती है तो सं.लो.से.आ. को धरोहर जमा राशि को जब्त

करने, फर्म द्वारा जमा की गई कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि को भुनाने और फर्म के जोखिम और व्यय पर अन्य फर्म से कार्य करने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त, फर्म को इस के लिए ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। वैकल्पिक व्यवस्था और फर्म के बोली मूल्य के बीच की लागत संबंधी अंतर की वसूली अन्य प्रासंगिक प्रभारों के साथ फर्म से की जाएगी। यदि सं.लो.से.आ. वैकल्पिक स्रोतों के माध्यम से सेवाएं प्राप्त करने के लिए बाध्य होता है और यदि लागत कम हो तो फर्म को इसका कोई लाभ नहीं दिया जाएगा।

17. **परिनिर्धारण क्षतियां:** चयनित वेंडर को कार्य आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर निविदा के नियमों और शर्तों का पूर्णतया अनुपालन कार्य क्षेत्र के अनुसार निष्पादित करना होगा। ऐसा न होने पर प्रत्येक दिन की देरी के लिए विलंबित कार्य की लागत का 0.5%, उस विशेष कार्य आदेश के अधिकतम 10% के अधीनलगाया जा सकता है और बिल से कटौती की जा सकती है।15 दिनों से अधिक की देरी के मामले में, सं.लो.से.आ. कार्य आदेश को रद्द कर सकता है और फर्म की जोखिम और लागत पर किसी अन्य एजेंसी से काम करवाने के अलावा ऐसी राशि या फर्म की कार्य-निष्पादन सुरक्षा की पूरी राशि को जब्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त, फर्म को इसके लिए ब्लैकलिस्ट किया जा सकता हैं। इस संबंध में सचिव, सं.लो.से.आ. का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

18. **मध्यस्थता:** सं.लो.से.आ. तथा फर्म के बीच होने वाले किसी विवाद या मतभेद जो इस संविदा के निष्कर्ष, अर्थ तथा प्रचालन या आशय या संविदा भंग होने की स्थिति में उत्पन्न हो, तो ऐसे में विवाद का निपटान माध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996 के उपबंधों के अनुसार सं.लो.से.आ. द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा किया जा सकेगा और उसका निर्णय सं.लो.से.आ. तथा फर्म, दोनों के लिए बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता का स्थान दिल्ली होगा।

19. **क्षेत्राधिकार:** मध्यस्थता के अध्यधीन उपर्युक्त के अलावा इस करार के कारण कोई वाद या कार्यवाही, जो दोनों पक्षों में से किसी के भी अधिकार का हनन करती हो, दिल्ली में दायर की जाएगी और अन्य किसी न्यायालय में नहीं होगी और दोनों पक्ष ऐसे न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्वीकार करने के प्रति स्वेच्छा से सहमत होंगे।

20. **अपरिहार्य घटना:** यथास्थिति सं.लो.से.आ. अथवा बोलीदाताओं, जैसा भी मामला हो, संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में किसी विफलता अथवा चूक अथवा प्राकृतिक आपदाओं जैसे आग लगने, बाढ़, भूकंप आदि के कारण और नियंत्रण से बाहर के कारण जैसे, सिविल हड़ताल, तालाबंदी, दंगे, गृह युद्ध आदि के कारण इसके कार्य के निष्पादन में विलंब के मामलों में ऐसी चूक, विफलता अथवा विलंब के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा और निष्पादन के अपने सम्बद्ध दायित्वों से मुक्त होंगे, बशर्ते एक पक्ष दूसरे पक्ष को ऐसी घटना होने के 21 दिनों के भीतर सूचना दे देता है। कोई भी पक्षकार जब कभी अपरिहार्य घटनाओं के लिए नोटिस देता है तो उन्हें किसी सरकारी विभाग या एजेंसी या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमाण-पत्र के रूप में ऐसी घटना

की पुष्टि करनी होगी। पक्षकारों को उनके संबंधित दायित्वों से तब तक राहत दी जाएगी जब तक अपरिहार्य स्थिति जारी रहती है और जिस हद तक उनका कार्य-निष्पादन प्रभावित हुआ है, बशर्ते उपर्युक्तानुसार सूचनाएं दी गई हों और उपर्युक्तानुसार अपरिहार्य घटना के क्रम को स्थापित किया गया हो। तथापि, यदि संविदा के प्रति कार्य-निष्पादन को हड़ताल, तालाबंदी आदि, जो 60 दिन से अधिक है, के कारण रोका जाता है तो सं.लो.से.आ. को संविदा समाप्त करने का अधिकार होगा।

21. सफल बोलीदाता द्वारा असंतोषप्रद कार्य-निष्पादन की स्थिति में सं.लो.से.आ. को यह विवेकाधिकार होगा कि एक माह का नोटिस देकर संविदा को समाप्त कर दे और इसे किसी भी अन्य फर्म को प्रदान कर दे या इस कार्यालय को इस संबंध में हुई हानि/क्षति के लिए बोलीदाता से ऐसी रकम की वसूली करें जैसा भी सचिव, सं.लो.से.आ. द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में सचिव, सं.लो.से.आ. का निर्णय पक्षकारों के लिए अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

22. इस निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए कार्यालय समय के दौरान निम्नलिखित हेल्पलाइन नं. 011-23381141 पर संपर्क किया जा सकता है।

23. कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, वेंडर को यह सुनिश्चित करना होगा कि सं.लो.से.आ. में तैनात उसके सभी कार्मिक भारत सरकार द्वारा रोकथाम, स्वच्छता, सामाजिक दूरी के उपाय पर जारी किए गए नवीनतम दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।

24. निविदा सूचना सं.लो.से.आ. की वेबसाइट **www.upsc.gov.in.** पर भी उपलब्ध है।

(आर. के. दीक्षित)
अवर सचिव (सा.-II)

अनुबंध-I

कार्यक्षेत्र

1. तीन अलग-अलग आकार के कॉरुगेटिड बक्सों {(i) 18" x 12.5" x 5", (ii) 18" x 12" x 6", (iii) 18" x 12.5" x 8"} (सभी आयाम (डायमेंसन) इंच में) (प्रत्येक बक्से में 4 नायलॉन स्ट्रिपें) की स्ट्रिपिंग संबंधित परीक्षा व्यवस्था अनुभाग के पर्यवेक्षण में की जायेगी। स्ट्रिपिंग अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री की 12 मि.मी मोटाई वाली नायलॉन स्ट्रिप से की जाएगी और बॉक्सों की वॉटरप्रूफिंग, 20-22 माइक्रोन मोटाई वाली वॉटरप्रूफिंग सामग्री से की जाएगी। प्रत्येक बॉक्स में दो क्षैतिज और दो ऊर्ध्वाधर नायलॉन स्ट्रिप होंगी।

2. कॉरुगेटिड बक्सों की वाटर प्रूफिंग आयोग की विशिष्ट अपेक्षा/अनुरोध के अनुसार की जाएगी। यह वेंडर का एकल उत्तरदायित्व होगा कि बक्सों में पानी नहीं जाएं। सामग्री के कारण होने वाली कोई भी क्षति पानी/विसर्पण पूरी तरह से वेंडर की जिम्मेदारी होगी जो वेंडर से वसूल की जाएगी।

3. फर्म को परीक्षा शाखा के संबंधित अनुभाग को सूचित करते हुए रेलवे स्टेशन से बक्सों/सामग्रियों की क्लीयरेंस देनी होगी। दिल्ली/नई दिल्ली या आसपास के रेलवे स्टेशन से रेलवे पार्सल (प्रति किलो) (माल/गाड़ी आदि सहित) की क्लीयरेंस का भुगतान वास्तविक के आधार पर किया जाएगा जो वेंडर या उसके सहयोगी को परिवहन/वाहन व्यय के लिए किसी दावे के बिना, रेलवे अधिकारियों से मूल बिलों के प्रस्तुत करने के अधीन होगा। **ऐसे पार्सलों की मात्रा बहुत कम होगी।** गैर-निष्पादित कार्य पर कुल संविदा मूल्य के 0.1% की दर से शास्ति लगायी जाएगी।

4. रेलवे प्राधिकारियों से आने वाले पार्सल प्राप्त करते समय, फर्म को प्रत्येक पैकेट की सावधानीपूर्वक जांच करनी अपेक्षित होगी कि कोई पार्सल क्षतिपूर्ण स्थिति में तो नहीं है। यदि कोई पार्सल क्षतिग्रस्त है या संदेह है कि इसमें हेर-फेर की गई है या पारगमन के दौरान इसकी सामग्री की चोरी की गई है, तो मामले को शीघ्र अनुभाग अधिकारी, प.I क (स्टोर) सं.लो.से.आ. को सूचित किया जाए जो इस कार्यालय से एक अधिकारी को रेलवे से उचित रूप में पार्सल प्राप्त करने में मार्गदर्शन करने के लिए प्रतिनियुक्त करेंगे।

5. रेलवे प्राधिकारियों से पार्सल प्राप्त करने के पश्चात, फर्म को रेलवे प्राधिकारियों से वितरण लेने के बाद न्यूनतम संभव समय के भीतर इस कार्यालय के विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि को पार्सल सौंपने की व्यवस्था करनी होगी। यदि, उसे पता चलता है कि किसी कार्य दिवस पर कार्यालय परिसर में आने वाले

पार्सल कार्यालय समय के बाद अर्थात शाम 6.00 बजे के बाद ही दिए जा सकते हैं, तो वह, अनुभाग अधिकारी, प.I क स्टोर) को शाम 5.00 बजे से पहले सूचित करेगा ताकि कार्यालय समय के बाद पार्सल प्राप्त करने के लिए इस कार्यालय से एक अधिकारी को तैनात करने की व्यवस्था की जा सके।

6. आपातकाल के मामले में, वेंडर को शनिवार/रविवार/छुट्टी के दिन भी कॉरुगेटिड बक्सों की स्ट्रिपिंग (नायलॉन-स्ट्रिपिंग/वाटर प्रूफिंग और लोडिंग) और/ या रेलवे पार्सल की क्लीयरेंस (पुरानी दिल्ली/नई दिल्ली रेलवे स्टेशन /निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से) के लिए कहा जा सकता है।

7. फर्म को भुगतान की व्यवस्था करने के लिए उक्त एजेंसी से सभी रसीद/वाउचर सहित बिल प्रस्तुत करना होगा। किसी भी परिस्थिति में, परीक्षा सामग्री ले जाने वाले सं.लो.से.आ. के बक्सों की क्लीयरेंस के लिए भारतीय रेलवे को भुगतान करने के लिए फर्म को अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।

8. संविदा के प्रावधान के अनुसार संविदाकर्ता के कार्य करने में विफल होने पर, सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को संविदा निरस्त करने और इसे किसी अन्य व्यक्ति को देने का अधिकार है, और इस प्रकार होने वाली हानि को प्रथम संविदाकर्ता से वसूल किया जाएगा। इस आधार पर उत्पन्न होने वाला विवाद सचिव, सं.लो.से.आ. को संदर्भित किया जाएगा जिसका निर्णय पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

9. सामग्री की चोरी/हानि/क्षतिग्रस्त होने के लिए फर्म जिम्मेदार होगी। फर्म अपने स्टाफ की ओर से हुए कृत्य के लिए एकमात्र रूप से तथा पूर्णरूप से जिम्मेदार होगी। फर्म को सं.लो.से.आ. के दायित्वों के लिए अपने द्वारा तैनात किए गए स्टाफ के बारे में कम से कम एक सप्ताह पहले लिखित में सूचित करना होगा ताकि सं.लो.से.आ. में उनके प्रवेश का आवश्यक प्रबंध किया जा सके।

10. संविदा को बिना कोई कारण बताएं 15 दिन का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।

11. सं.लो.से.आ. परिसर में डाक वाहन में बक्सों को लदान (लेडिंग) करने की जिम्मेदारी वेंडरकी होगी। इस प्रयोजनार्थ आयोग द्वारा कोई भी श्रमिक/व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा।

12. अनुमानित वार्षिक मात्रा संभावित है जिसे सं.लो.से.आ. की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता हैं।

अनुबंध-I

<u>आवश्यकता की अनुसूची (एसओआर)</u>

कॉरुगेटिड बक्सों की स्ट्रिपिंग (नायलॉन-स्ट्रिपिंग/वाटर प्रूफिंग और लोडिंग) तथा रेलवे पार्सलों की क्लीयरेंस (पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से) के लिए निविदा।

क्र.सं.	कार्य/गतिविधि	अनुमानित मात्रा (वर्ष-वार) (बक्सों की संख्या में)		
		प्रथम वर्ष (2023)	द्वितीय वर्ष (2024)	तृतीय वर्ष (2025)
1.	प्रत्येक बक्से पर 4 नायलॉन स्ट्रिपिंग	7244	8694	10418
2.	प्रत्येक बक्से की 4 नायलॉन स्ट्रिपिंग सहित वाटरप्रूफिंग (प्रति कॉरुगेटिड बक्सा)	14781	17739	21285

नोट :- सभी बोलीदाताओं को उक्त एसओआर सारणी में दी गई मदों के विवरण का अनुपालन करना होगा।

अनुबंध-II

मूल्य बोली का प्रपत्र

बोलीदाता को सीपीपी पोर्टल में केवल बीओक्यू प्रारूप में मूल्य बोली प्रविष्ट करना अपेक्षित होगा। किसी अन्य प्रारूप में मूल्य बोली को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तकनीकी बोली में किसी भी तरह मूल्य बोली का उद्घाटित होने पर बोली को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। मूल्य अनुसूची का सामान्य प्रारूप निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	कार्य/गतिविधि	प्रति बक्से की दर (वर्ष-वार) (रुपये में)			लागू होने वाले कर प्रतिशत में
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	

1	प्रत्येक बक्से पर 4 नायलॉन स्ट्रिपिंग।				
2	प्रत्येक बक्से पर 4 नायलॉन बक्से स्ट्रिपिंग सहित वाटरप्रूफिंग (प्रति कॉरुगेटिड बक्सा)				
कुल					

नोट:-

1) अनुमानित वार्षिक मात्रा संभावित है और सं.लो.से.आ.की आवश्यकता के अनुरूप इसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

2) वित्तीय मूल्यांकन सभी तीन वर्षों के लिए सभी मदों के लिए उद्धृत दरों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। एल-1 का चयन एन पी वी **(**शुद्ध वर्तमान मूल्य**)** के आधार पर किया जाएगा।

3) कर, यदि कोई हो, अलग से उद्धृत किया जाएगा ऐसा नहीं होने पर दरों को करों सहित माना जाएगा और करों का समावेशन करने के लिए कोई अन्य अनुरोध इस कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं जाएगा। करों में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए दिशनिर्देशों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

4) दरों में सं.लो.से.आ. से सामग्री का परिवहन/लोडिंग/उतारने से संबंधित सभी अधिभार शामिल हैं।

5) सं.लो.से.आ. के परिसर में डाक वाहन में बक्सों को लोड करने की जिम्मेदारी वेंडर कीहोगी। आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ कोई भी श्रमिक/व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं करवाएगा।

6) प्रथम वर्ष का प्रारंभ अनुबंध के प्रारंभ होने की तारीख से होगा।

7) एन पी वी (शुद्ध वर्तमान मूल्य) की गणना सालाना 10% की छूट की दर पर किया जाएगा। एल-1 फर्म के निर्धारण के लिए गणना का विवरण नीचे दिया गया है।

एन पी वी = {वर्ष 1 + वर्ष 2 / (1 + 0.1) + वर्ष 3 / (1 + 0.1)2}
[एन पी वी = शुद्ध वर्तमान मूल्य; वर्ष 1 = प्रथम वर्ष के लिए उद्धृत दरों का योग;
वर्ष 2 = द्वितीय वर्ष के लिए उद्धृत दरों का योग और वर्ष 3 = तृतीय वर्ष के लिए उद्धृत दरों का योग]

एन पी वी के उदाहरण:

(क) यदि वर्ष 1 = 150, वर्ष 2= 200 और वर्ष 3 = 240, तो एन पी वी की गणना निम्नानुसार की जाएगी:-

एन पी वी = 150(200/1.1) + (240/1.21)
= 150 + 181.82 + 198.35
= 530.17
इस प्रकार, एन पी वी 530.17 रुपये है।

(ख) यदि वर्ष 1 = 300, वर्ष 2 = 250 और वर्ष 3 = 200, तो एन पी वी की गणना निम्नानुसार की जाएगी:-

एन पी वी = 300+ (250/1.1) + (200/1.21)
= 300+227.27 + 165.29
= 692.56

इस प्रकार, एन पी वी 692.56 रुपये है।

एल-1 बोलीदाता का चयन एन पी वी के आधार पर किया जाएगा। तथापि, भुगतान यथालागू करों के साथ वेंडर द्वारा वर्ष-वार उद्धृत दरों के आधार पर किया जाएगा।

अनुबंध-III

हमनें,_____

_____

(फर्म का नाम और पता), दिनांक_____ के आपके एन आई टी के उत्तर में, कॉरुगेटिड बक्से की स्ट्रिपिंग (नायलॉन-स्ट्रिपिंग / वाटर प्रूफिंग और लोडिंग) और रेलवे पार्सल की क्लीयरेंस (पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से) के लिए निविदा के संबंध में एक तकनीकी और वित्तीय बोली प्रस्तुत की है। जैसा एन आई टी के तहत अपेक्षित है, एतद द्वारा, हम निम्नानुसार प्रमाणित करते है:-

1. कि निविदा के सभी निबंधन और शर्तें हमें स्वीकार्य हैं।
2. कि हमने एन आई टी के कार्य क्षेत्र और निबंधन और शर्तों को अच्छी तरह से समझ लिया है और हमारी बोली निश्चित रूप से इसी के अनुसार है।
3. कि फर्म का पूर्ववर्ती प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान औसतन वार्षिक टर्नओवर कम से कम 15 लाख रुपये प्रति वर्ष है।

4. कि मुझे/हमें पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आय/धन छुपाने के लिए दंडित या दोषी नहीं ठहराया गया है।
5. कि मुझे/हमें किसी भी सरकारी संस्था द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया हैं।
6. फर्म का विवरण नीचे दिया गया है:-

1.	**फर्म का नाम**	
2.	**कार्यालय का पता**	
3.	**फोन नं. / मोबाईल नं.**	
4	**ई-मेल**	

(प्राधिकृत हस्ताक्षकर्ता)
फर्म/बोलीदाता का नाम और पता

अनुबंध-IV

घोषणा

मैं,_____पुत्र/पुत्री

श्री_____एतदद्वारा घोषणा करता हूं कि मेरा कोई भी रिश्तेदार संघ लोक सेवा आयोग (सं.लो.से.आ.), नई दिल्ली में कार्यरत नहीं हैं। किसी चरण में यदि यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई सूचना झूठी/गलत है, सं.लो.से.आ. को मुझे पूर्व सूचना के बिना कोई भी उचित कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होगा।

दिनांक:_____ (फर्म की मुहर सहित बोलीदाता का
तरीख सहित हस्ताक्षर)

अनुबंध-V

चेकलिस्ट

क्र.सं.	विवरण	हाँ/नहीं	पेज सं.
1.	क्या ई एम डी की हस्ताक्षरित और स्कैन की हुई प्रति संलग्न है?		
2.	क्या पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2019-20, 2020-21 और 2021-22 की फर्म की आयकर रिटर्न की हस्ताक्षरित और स्कैन की हुई प्रतियां संलग्न है?		
3.	क्या पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2019-20, 2020-21 और 2021-22 की फर्म का लेखा परीक्षित तुलन पत्र संलग्न है?		
4.	क्या सनदी (चार्टर्ड) लेखाकार द्वारा सत्यापित वार्षिक टर्नओवर प्रमाण-पत्र की हस्ताक्षरित और स्कैन की हुई प्रति संलग्न है?		
5.	क्या पूर्ववर्ती 5 वर्षों के दौरान के कम से कम 2 कार्य आदेश की हस्ताक्षरित और स्कैन की हुई प्रतियां संलग्न है?		
6.	क्या पैन कार्ड की हस्ताक्षरित और स्कैन की हुई प्रति संलग्न है?		
7.	जी एस टी पंजीकरण प्रमाण-पत्र की हस्ताक्षरित और स्कैन की हुई प्रति संलग्न है?		
8.	क्या अनुबंध-III के अनुरूप प्रमाण-पत्र की हस्ताक्षरित और स्कैन की हुई प्रति संलग्न है?		
9.	अनुबंध-IV के अनुरूप घोषणा की हस्ताक्षरित और स्कैन की हुई प्रति संलग्न है?		

(फर्म का प्राधिकृत नाम और पता)
दूरभाष नं./मोबाईल नं./फैक्स नं.

ऑन-लाइन बोली प्रस्तुतीकरण के निर्देश

बोलीदाताओं को वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्रों का उपयोग करते हुए, सीपीपी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बोलियों की सॉफ्ट प्रतियां जमा करनी अपेक्षित होगी। नीचे दिए गए निर्देश बोलीदाताओं को सीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण करने में सहायता करने, आवश्यकताओं के अनुसार अपनी बोलियां तैयार करने और सीपीपी पोर्टल पर अपनी बोलियां ऑन-लाइन जमा करने के लिए हैं।

सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन बोलियां जमा करने के लिए उपयोगी जानकारी https://eprocure.gov.in / eprocure/ app) पर प्राप्त की जा सकती हैं।

पंजीकरण

1. बोलीदाताओं को केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल के ई-प्रापण मॉड्यूल (यूआरएल:https://eporcure.gov.in/eprocure/app)"**ऑनलाइन बोलीदाता पंजीकरण**" लिंक पर क्लिक कर पर पंजीकरण करना अपेक्षित हैं जो कि निःशुल्क है।

2. पंजीकरण प्रक्रियां के भाग के रूप में, बोलीदाता को एक यूनिक यूजर नाम का चुनाव करना और अपने खाते के लिए एक पासवर्ड निर्दिष्ट करना अपेक्षित है।

3. बोलीदाता को अपना वैध ई-मेल पता और मोबाइल नं. पंजीकरण प्रक्रिया के भाग के रूप में पंजीकृत करने की सलाह दी जाती हैं।

4. नामांकन के बाद, बोलीदाताओं को अपने प्रोफाइल के साथ सीसीए इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त (जैसे, सिफी/टीसीएस/एनकोड/ई-मुद्रा आदि) किसी भी प्रमाणन प्राधिकरण द्वारा जारी अपने वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (श्रेणी II या श्रेणी III प्रमाणपत्र हस्ताक्षर कुंजी के उपयोग के साथ) पंजीकृत करना अपेक्षित होगा।

5. बोलीदाता के द्वारा केवल एक वैध डीएससी पंजीकृत किया जाना है। कृपया नोट करें कि बोलीदाता यह सुनिश्चित करने का जिम्मेदार होगा कि वह अपना डीएससी किसी अन्य को नहीं दे ताकि दुरुपयोग ना हो सके।

6. बोलीदाता इसके बाद सुरक्षित लॉग-इन के माध्यम से अपना यूजर आईडी/पासवर्ड और डीएससी/ई-टोकन का पासवर्ड दर्ज करके साइट पर लॉग-इन कर सकते हैं।

टेंडर दस्तावेज के लिए खोज करना

1. सीपीपी पोर्टल में कई मापदंडों के आधार पर सक्रिय निविदाओं की खोज करने के लिए और बोलीदाताओं की सहायता के लिए विविध खोज विकल्प बनाए गए हैं। इन मापदंडों में निविदा आईडी, संस्था का नाम, स्थान, दिनांक मूल्य आदि शामिल हो सकते है। निविदाओं के लिए एक अग्रिम खोज का विकल्प भी हैं, जिसमें बोलीदाता सीपीपी पोर्टल पर प्रकाशित निविदा की खोज के लिए कई खोज मापदंडों जैसे, संगठन का नाम, अनुबंध का प्रपत्र, स्थान, दिनांक, अन्य की-वर्ड आदि को संयोजित कर सकते हैं।

2. बोलीदाता एक बार अपनी पसंद की निविदा का चयन करने के बाद अपेक्षित दस्तावेज/निविदा अनुसूचियाँ डाउनलोड कर सकते हैं। इन निविदाओं को संबंधित 'मेरी निविदा' फ़ोल्डर में ले जाया जा सकता हैं। इससे सीपीपी पोर्टल बोलीदाताओं को एस एम एस /ई-मेल के माध्यम से निविदा दस्तावेज के संबंध में जारी होने वाले शुद्धि पत्र, यदि कोई है, की जानकारी दे सकेगा।

3. यदि बोलीदाता सहायता डेस्क से कोई स्पष्टीकरण/मदद प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें सौंपी गई प्रत्येक निविदा में यूनिक निविदा आईडी का नोट बनाना होगा।

बोलियों की तैयारी

1. बोलीदाता को अपनी बोलियों को प्रस्तुत करने से पहले निविदा दस्तावेज पर प्रकाशित कोई भी शुद्धि पत्र को ध्यान में रखना होगा।

2. कृपया निविदा विज्ञापन तथा निविदा दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक अच्छी तरह से पढ़ लें और यह समझ लें कि बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले कौन-से दस्तावेज अपेक्षित हैं। कृपया उन लिफ़ाफ़ो की संख्या, जिनमें बोली दस्तावेज प्रस्तुत

किए जाने हैं, प्रत्येक दस्तावेज जिन्हें प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है, का नाम तथा विषयवस्तु सहित दस्तावेजों की संख्या नोट कर लें। इनसे होने वाले किसी भी विचलन के कारण बोली को अस्वीकृत किया जा सकता हैं।

3. बोलीदाता को अग्रिम रूप में निविदा दस्तावेज/अनुसूची में निर्देशित बोली दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए तैयार रखना होगा और सामान्यतया, वे पीडीएफ / एक्सएलएस / आरएआर / डीडब्ल्यूएफ / जेपीजी प्रारूप में होने चाहिए। बोली दस्तावेजों को श्वेत तथा श्याम विकल्प सहित **100 डी पी आई** के साथ स्कैन किया जाए जो स्कैन किए गए दस्तावेजों के आकार को छोटा करने में मदद करता हैं।

4. मानक दस्तावेजों के अपलोड करने में लगने वाले अपेक्षित समय एवं प्रयास को कम करने के लिए, जिसे प्रत्येक बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, ऐसे मानक दस्तावेजों (उदाहरणार्थ पैन कार्ड की प्रति, वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र आदि) को अपलोड करने का प्रावधान बोलीदाताओं के लिए उपलब्ध है। बोलीदाता ऐसे दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए "माई स्पेस" क्षेत्र या "अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज" क्षेत्र का प्रयोग कर सकते हैं, जो उनके पास उपलब्ध हैं। बोली प्रस्तुत करते समय इस दस्तावेजों को सीधे "माई स्पेस" पर प्रस्तुत कर सकते है और इन्हें बार-बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं हैं। यह बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में लगने वाले अपेक्षित समय को कम करेगा।

नोट: "मेरे दस्तावेज स्पेस" अपलोडिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बोलीदाताओं को दी गई केवल एक रिपॉजिटरी है। यदि बोलीदाता ने "मेरे दस्तावेज स्पेस" में अपने दस्तावेजों को अपलोड किया है, तो यह स्वतः सुनिश्चित नहीं करता कि ये दस्तावेज तकनीकी बोली का हिस्सा है।

बोली प्रस्तुत करना:

1) बोलीदाता को बोली प्रस्तुत करने के लिए अग्रिम रूप में साइट पर लॉग-इन करना है ताकि वे बोली को समय पर अर्थात बोली प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख को या उससे पहले अपलोड कर सके। अन्य मुद्दों के कारण किसी भी विलंब के लिए बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होंगे।

2) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज में इंगित किए अनुसार अपेक्षित दस्तावेजों को एक-एक कर अपलोड कर डिजिटल हस्ताक्षर करने हैं।

3) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज में यथा लागू निविदा शुल्क धरोहर जमा राशि का भुगतान करने के लिए "ऑफलाइन" भुगतान विकल्प का चयन करना होगा और लेख-पत्र का विवरण प्रविष्ट करना होगा।

4) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार धरोहर जमा राशि तैयार करनी चाहिए। मूल दस्तावेज डाक/कूरियर द्वारा संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख या निविदा दस्तावेज में यथा विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख या निविदा दस्तावेज में यथावर्णित तारीख तक भेजा जाना चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट/कोई अन्य स्वीकृत माध्यम या व्यक्तिगत रूप से भेजे गए विवरणों का मिलान स्कैन की गई प्रति में उपलब्ध विवरण तथा प्रस्तुत करने के दौरान प्रविष्ट किए गए डेटा से कर लेना चाहिए अन्यथा अपलोड की गई बोली अस्वीकार कर दिया जाएगा।

5) बोलीदाता से यह नोट करने का अनुरोध है कि उन्होंने अनिवार्य रूप से प्रदान किए गए प्रारूप में ही अपनी वित्तीय बोलियों को प्रस्तुत किया है और कोई अन्य प्रारूप स्वीकार्य नहीं है। यदि बोली मूल्य निविदा दस्तावेज मानक बीओक्यू प्रारूप में नहीं दिया गया है, तो उसे डाउनलोड किया जाना चाहिए और बोलीदाताओं द्वारा भरा जाना चाहिए। बोलीदाताओं को बीओक्यू फाइल डाउनलोड करना अपेक्षित है, इसे खोलें और अपने वित्तीय उद्धरण तथा अन्य विवरण (जैसे बोलीदाता का नाम) सहित सफेद रंग की (असुरक्षित) सेल्स को पूरा करें। किसी अन्य सेल्स को परिवर्तित न करें। एक बार विवरण के पूरा हो जाने पर बोलीदाता को इसे सेव कर लेना चाहिए और फाइल के नाम को परिवर्तित किए बिना इसे ऑनलाइन प्रस्तुत कर दें। यदि बीओक्यू फाइल बोलीदाता द्वारा संशोधित पायी जाती है तो बोली को अस्वीकार स्वीकार कर दिया जाएगा।

6) सर्वर टाइम (जिसे बोलीदाता के डैश बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया है) को बोलीदाता द्वारा बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख, बोलियों को खोलना आदि के संदर्भ के लिए मानक समय माना जाएगा। बोलीदाताओं को बोली के प्रस्तुतीकरण के दौरान इस समय का अनुपालन करना चाहिए।

7) बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज कूटलेखन (इंक्रीप्टेड) तकनीक पी.के.आई का प्रयोग करते हुए इंक्रीप्टेड होंगे ताकि डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके। बोली खोले जाने के समय तक प्रविष्ट किए गए डेटा को अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता

है।कूटलेखन तकनीक के 128 बिट सुरक्षित साकिट लेयर का प्रयोग करते हए बोली की गोपनीयता को अनुरक्षित किया गया है। संवेदनशील क्षेत्रों का आंकड़ा भंडारण (डेटा स्टॉरिज) इंक्रीप्ट किया गया है। प्रणाली जनित सममितीय (सिमेट्रिक) का उपयोग करते हुए सर्वर पर अपलोड किया गया कोई बोली दस्तावेज सममितीय (सिमेट्रीक) कूटलेखन के अध्यधीन है। इसके अतिरिक्त यह कुंजी असममित कूटलेखन का प्रयोग कर क्रेता/बोली खोलने वाली सार्वजनिक कुंजी के अध्यधीन है। समग्र रूप से अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज प्राधिकृत बोली खोलने वाले द्वारा निविदा खोलने के बाद ही पठनीय होंगे।

8) अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज प्राधिकृत बोली खोलने वाले अधिकारियों द्वारा निविदा को खोले जाने के बाद ही पठनीय होंगे।

9) बोली का सफल तथा समयबद्ध तरीके से प्रस्तुतीकरण (अर्थात पोर्टल में "फ्रिज बिड सबमिशन" को क्लिक करने के बाद) होने पर पोर्टल सफल बोली प्रस्तुतीकरण संदेश देगा और बोलीसंख्या और सभी संगत विवरण सहित बोली को प्रस्तुत करने की तारीख एवं समय के साथ बोली समरी प्रदर्शित हो जाएगी।

10) बोली समरी को मुद्रित किया जाना अपेक्षित है और बोली प्रस्तुतीकरण की पावती के रूप में इसे रख लें। इस पावती को बोली के खुलने की किसी भी बैठक के लिए प्रवेश पास के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है।

11) बोलीदाताओं को सहायता

(i) निविदा दस्तावेज और उनमें निहित निबंधन एवं शर्तों से संबंधित किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए निविदा आमंत्रण प्राधिकारी या निविदा में उल्लिखित संगत अधिकारी को संबोधित पत्र भेज कर जानकारी प्राप्त की जाए।

(ii) ऑन-लाइन बोली प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की पूछताछ या सामान्य रूप से सीपीपी पोर्टल से संबंधित प्रश्न के लिए 24x7 सीपीपी

पोर्टल सहायता डेस्क को अग्रेषित कर सकते है। सहायता डेस्क के लिए संपर्क नं. 180030702232 है। बोलीदाता +91-7878007972 और +91-7878007973 से भी मदद ले सकते हैं।